भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 54
उत्तर देने की तारीख 03 फरवरी, 2020
सोमवार, 14 माघ, 1941 (शक)

राजस्थान में कौशल विकास मिशन

†**54. श्रीमती रंजीता कोलीः**

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान कौशल विकास मिशन/केन्द्र की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु राजस्थान के लिए सरकार द्वारा कितनी निधि आबंटित की गई है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) कुशल भारत मिशन के अंतर्गत कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) राजस्थान राज्य सहित समूचे देश में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह स्कीम समूचे देश में प्रत्यायित और संबद्ध प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के माध्यम से अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) तथा पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) लेने में युवाओं को समर्थ बनाती है। 17.01.2020 तक, एसटीटी के अंतर्गत 1,368

टीसी सूचीबद्ध हैं। 17.01.2020 तक, राजस्थान राज्य में 6.43 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है।

पीएमकेवीवाई के दो घटक हैं जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा संचालित केंद्रीय प्रायोजित केंद्रीय प्रबंधित (सीएससीएम) घटक और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य कौशल विकास मिशनों द्वारा संचालित केंद्रीय प्रायोजित राज्य प्रबंधित घटक, जिसे आमतौर पर पीएमकेवीवाई (2016-20) के राज्य प्रबंधित घटक के नाम से जाना जाता है, कहलाते हैं।

पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएससीएम घटक के अंतर्गत राज्य-वार निधि आबंटन का कोई प्रावधान नहीं है। किंतु, पीएमकेवीवाई 2016-20 के सीएसएसएम घटक के अंतर्गत निधियां और पीएमकेवीवाई 2016-20 के भौतिक लक्ष्य राज्य कौशल विकास मिशनों के माध्यम से स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित किए गए हैं। इस घटक के अंतर्गत, राजस्थान कौशल तथा आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी), राजस्थान सरकार से प्राप्त हुए प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के पश्चात् मंत्रालय ने वित्त-वर्ष 2016-20 के लिए कुल 64,526 उम्मीदवारों का लक्ष्य और 94.62 करोड़ रूपए का वित्तीय आबंटन सिद्धांतत: अनुमोदित किया है, जिसमें से वित्त-वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्थान राज्य को 14.19 करोड़ रुपए संवितरित किए गए हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के धीमे निष्पादन के कारण तथा मार्च 2020 में समाप्त होने जा रही स्कीम को ध्यान में रखते हुए वित्तीय आवंटन को युक्तिसंगत करके 70.96 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके) नामक आदर्श तथा आकांक्षीय कौशल केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। वर्तमान में मंत्रालय की महत्वाकांक्षी स्कीम पीएमकेवीवाई (2016-20) के अंतर्गत पीएमकेके में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंत्रालय, एनएसडीसी के माध्यम से प्रत्येक पीएमकेके को संचालन सहायता के साथ-साथ परियोजना निवेश का 75% तक पूंजीगत व्यय उपलब्ध कराता है। 17.01.20202 तक राजस्थान में 35 पीएमकेके आवंटित किए गए हैं। आवंटित पीएमकेके में से 34 पीएमकेके स्थापित कर दिए गए हैं। राजस्थान में पीएमकेके स्थापित करने के लिए 12.03 करोड़ रुपए की धनराशि संवितरित की गई है।

****